

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2021/ 1607

दिनांक 26/11/2021

प्रार्थीगण :-

1.गेमराराम 2.बीझाराम 3.कबीराराम पि.  
महेशाराम 4.गुलाबीदेवी पत्नि रामाराम  
5.लूणीदेवी पुत्री रामाराम, जाति मेघवाल  
निवासी प्रेमसिंह की ढाणी (देदूसर)  
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1.तेजाराम पुत्र विशनाराम 2.कालाराम पुत्र  
सोनाराम 3.अणदाराम पुत्र राजाराम,  
जातियान जाट 4.वासुराम पुत्र नारणाराम  
5.हरखाराम 6.मोतीराम 7.राजाराम पि.  
टीकमाराम, जातियान मेघवाल, निवासी  
प्रेमसिंह की ढाणी 8.उम्मेदसिंह पुत्र राणसिंह  
जाति राजपूत 9.प्रधानाध्यापक रा.प्रा.वि.समेले  
की बस्ती, 10.तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम  
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 62/2020

दिनांक : 26.11.2021

## आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र देदूसर के मौजा प्रेमसिंह की ढाणी के खेत खसरा सं. 681/465 रकबा 75.00 बीघा, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2021/ 1608 to 1611

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण गेमराराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण तेजाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना

(भा.उपखण्ड अधिकारी)  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन ok

दिनांक

26/11/2021



उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन ok